



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्रमांक: 17/ म.प्र.न.वि.वि.आयोग/स्थापना/भोपाल

दिनांक: 01/2021
दिनांक

क्र.

// आदेश //

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 164 वीं सभा दिनांक 23/12/2020 के एजेण्डा क्रमांक (164)-6 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट (म.प्र.) को उनके मुख्य परिसर में स्थित शैक्षणिक विभागों/अध्ययन शालाओं में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को उनके नाम के सम्मुख दक्षित सीट संख्या अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020-21 से संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

S.No	Course	Intake	Ordinance No.	संबन्धित विनियामक परिषद एवं उसकी अनुमति का आदेश क्रमांक
1	BHMS	50	49	1570/18/7/2020-21
2	M.Sc. Agriculture (Agronomy)	60	71	5 th डीन कमेटी के अनुसार
3	M.Sc. Agriculture Horticulture (Vegetable Science)	30	71	5 th डीन कमेटी के अनुसार
4	M.Sc. Agriculture Horticulture (Fruit Science)	30	71	5 th डीन कमेटी के अनुसार
5	M.Sc. Agriculture Horticulture (Floriculture & Landscaping)	30	71	5 th डीन कमेटी के अनुसार

शर्त :-


- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबन्धित विनियामक परिषदों के मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबन्धित विनियामक परिषदों की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईडलाईन / मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नैक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
- यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
- पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

नोट:- बी.एस.सी नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु म.प्र. स्ट्रेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल एवं नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत म0प्र0नि0वि0वि0 आयोग के समक्ष पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।

निरंतर.....2
21/12/21

(2)

सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट (म.प्र.) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 से प्रारंभ किये जाने वाले पाठ्यक्रमों की अनुमति



(डॉ. के.पी. साह)
सचिव

म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल

पृष्ठांकन...../ म0प्र0नि0वि0वि0आयोग/स्थापना/ भोपाल
प्रतिलिपि-

1. कुलसचिव, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अध्यक्ष, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग को सूचनार्थ।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।

सचिव

म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल